संख्या-338/22-4-2010-104(ब)/06

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक-27 फरवरी,2010

विषयः- जिला कारागार उन्नाव में डीप ट्यूब वेल की स्थापना कार्य एवं केन्द्रीय कारागार नैनी इलाहाबाद में आवासों के निर्माण से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-21119/नम-1 दिनांक-23.7.2009, पत्रांक-34567/नम-1 दिनांक-16.12.2009, पत्र संख्या-4296/बजट-09-10 (पुनर्विनियोग) दिनांक-17 फरवरी,2010, पत्र संख्या-32640/नम-3 दि.-30.11.2009, पत्र संख्या-4296/बजट-09-10(पुनर्विनियोग) दिनांक-17.02.2010, शासनादेश संख्या-1746/22-4-07-104(ब)/06 दिनांक-10.01.2007 शासनादेश संख्या-769/22-4-07-104(ब)/08 दिनांक-28.03.2008 एवं शासनादेश संख्या-422/22-4-09-104(ब)/06 दिनांक-13.03.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार उन्नाव में डीप ट्यूबवेल की स्थापना के लिये पुनरीक्षित आगणन रू0-17.26 लाख (मूल आगणन रूपये 10.47 लाख) एवं केन्द्रीय कारागार नैनी इलाहाबाद में टाइप-2 के 5 आवासों के निर्माण सम्बन्धित पुनरीक्षित आगणन रू0-35.53 लाख (मूल आगणन रूपये 33.41 लाख) के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में अवशेष धनराशि क्रमशः रू0-6,79,000.00 एवं रू0-2,12,000.00 अर्थात कुल धनराशि रू0-8,91,000.00 (रूपये आठ लाख इक्यान्नबे हजार मात्र) की स्वीकृति महामहिम श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अर्न्तगत पूंजी लेखा शीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-12-कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य"के नामे डाली जायेगी एवं अनुदान संख्या-25 के अर्न्तगत पूंजी लेखा शीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-06-जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार (75 प्रतिशत केन्द्रांश+25 प्रतिशत राज्यांश पर आधारित पंचवर्षीय जेल सुधार योजना के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य" में होने वाली संभावित बचतों के पुनर्विनियोग से संलग्न पुनर्विनियोग आदेश के अनुसार वहन की जायेगी।

PTO

3. उक्त शासनादेश दिनांक-10.01.2007, 28.3.2008 एवं 13.3.2009 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-568-दस-2010 दिनांक- 27 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-338(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।